कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला सीकर (राजस्थान)

क्रमांक :–स्था./2014/ **दिनांक :– 15.07.2014**

–: <u>विज्ञप्ति</u> :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र 09/पी.आई./2014 दिनांक 24.06.2014 की पालना में सीकर न्यायक्षेत्र में रिक्त 30 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं पारिवारिक न्यायालय, सीकर में स्वीकृत रिक्त 07 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कुल 37 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं दिसम्बर 2014 तक रिक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत रनिंग पे बैण्ड–पीबी–1, 5200–20200 ग्रेड पे– 1700 रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ11(7)/एफडी(नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 व संशोधित आदेश संख्या एफ14(1)एफडी(नियम)2013–।। दिनांक 28.06.2013 के तहत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह पर बतौर प्रोबेशन ट्रेनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा(भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के प्रावधानो के तहत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते है। उक्त रिक्त पदों में 18 पद सामान्य वर्ग, 06 अनुसूचित जाति वर्ग, 03 अनुसूचित जनजाति वर्ग, 08 अन्य पिछडा वर्ग, 01 विशेष पिछडा वर्ग व 01 अन्य रूप से सक्षम वर्ग के है। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है जिस पर नियमानुसार रोस्टर प्रभावी होगा। इन रिक्त पदों पर भर्ती में महिलाओं से संबंधित व अन्य आरक्षण नियमानुसार देय होगें। उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(प्रोबेशन ट्रेनी) के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये निम्नांकित आवश्यक योग्यतायें तथा शर्ते लागू होगीः–

1– **राष्ट्रीयता :–**आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अनय शर्ते) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

2– **आयु** :– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं विधवा तलाकशुदा महिलाओं आदिको नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

आयु सीमा में छूट :–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के किसी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा

(ii) महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iii) रिजर्व सैनिक अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिये ऊपरी सीमा 50 वर्ष होगी।

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी सीमा में एन.सी.सी.में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जाएगा और यदि परिणामिक आयु, विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जावेगा।

(v) ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठाई या अस्थाई हैसियत में सेवा कर रहा हो, जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के संबंध में निबन्धन नही होगा।

(vi) पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या, तंजानिया, युगाण्डा, जंजीवारा से समप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

(vii) ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नही होगी जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठाई तोर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(viii) ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुगते कारावास के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जा सकेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नही था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(ix) विधवा, विछिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

स्पष्टीकरण– विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह (तलाक) के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

3– **शैक्षणिक योग्यता :–** अभ्यर्थी को उक्त पद पर आवेदन करने के लिए किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

4– **चरित्र :–(1)** आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के संबंध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के (जो उसके रिश्तेदार न हो) के दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह पूर्व के न हो।

(2) प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र केसाथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नही किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नही है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित है तो आवेदक को उक्त मामलें का विवरण शपथ पत्र मे अंकित करना होगा। आवेदक उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा।

5– **शरीरिक योग्यता:–** आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक दोष नही होना चाहिए, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक का इस पद के लिए चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्पयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा–प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– **संतान संबंधी सूचना:–** शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र. क्रमांक 10(3)/कार्मिकक–2/75/पार्ट–।। दिनांक 29.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पृष्ठांकन संख्या जनरल/19/मि./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.2004 के अनुसार ऐसा कोई भी आवदेक जिसके दिनांक 01.06.2002 को उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का घोषणा का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7– **विवाह पंजीयन :–**राज्य सरकारके परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार महिला आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति के नाम का उल्लेख किया जावेगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जावेगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नही होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप–6 में 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8– **पेंशन योजना:–** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(7)एफडी(रूल्स)97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(एफडी)(रूल्स) दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेंड रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण संबंधी सभी नये नियम प्रभावी/लागू होगे।

9– **आवेदन पत्र:–**आवेदक को आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 12 में बताये गये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न प्रस्तुत करने होगें। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगों। उक्त के अलावा आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण भरकर हस्ताक्षरित करना होगा। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्रों का प्रारूप जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर के नोटिस बोर्डपर देख जा सकता है।

..........3

10– **आवेदन पत्र की अंतिम तिथिः–** आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय समय (सांय 5.00 बजे) तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते है अथवा डाक से इस कार्यालय में प्रेषित किये जा सकते है। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।

11– **साक्षात्कारः–**आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदनपत्र बाद जांच सही पाये जावेंगे उन आवेदको की सूची जिला न्यायालय, सीकर के नोटिसबोर्ड पर दिनांक **17.08.2014** को चस्पा कर दी जावेगी, **साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 10.00 बजे से लिये जावेगें एवं अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में दिनांक 14.09.2014 को भी प्रातः 10.00 बजे से साक्षात्कार लिये जा सकेगे।** साक्षात्कार के संबंध में पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा नही दी जावेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा। उपरोक्त साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने के स्थिति में साक्षात्कार की तिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेवारी आवेदक की स्वयं की होगी तथा उक्त बाबत अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

12– **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि व शपथ पत्र संलग्न किये जाने चाहिएः–**

1. जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि
3. आरक्षण संबंधी/आयु सीमा में छूट चाहने संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि
4. विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र व तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा प्रमाण पत्र
5. छः माह की अवधि के अन्दर के दो उत्तरदायी व्यक्तियों(जो आवेदक के रिश्तेदार नही हो) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
6. दोषसिद्धी नही होने के बारे में शपथ पत्र
7. विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2006 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने बाबत आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र
8. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप संख्या 6 में शपथ पत्र
9. आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हो) की सत्यप्रतिलिपि
10. स्वयं का पता लिखा हुआ एवं 5/–रूपये का डाक टिकट लगा एक लिफाफा

नोट :– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किय जा रहे उपरोक्त प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होगे।

13– **अन्यः–**

1. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकन आना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
3. कोई भी पुरूष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा/होगी।
4. ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा/होगी।
5. ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी घोषित किया गया है, वो इस पद की नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।
6. बीपीएल कार्डधारी आशार्थियों को भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,सीकर

क्रमांक :– स्था. / 2014 / दिनांक :– 15.07.2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ :–

1– रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2– रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर
3– जिला एवं सेशन न्यायाधीश...
4– अधीनस्थ न्यायालय सीकर न्यायक्षेत्र...
5– जिला कलक्टर, सीकर
6– जिला नियोजन अधिकारी, सीकर
7– सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर
8– समाज कल्याण अधिकारी, सीकर
9– सूचना पट्ट, जिला न्यायालय, सीकर

प्रभारी अधिकारी,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,सीकर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक हस्ताक्षर युक्त अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे

1— नाम अभ्यर्थी ....

2— पिता/पति का नाम ....

3— जन्मतिथि ....

4— निवास एवं डाक का पूर्ण ....
पता मय टेलीफोन नम्बर ....
....
....

5— वर्ग(अपने वर्ग पर ( )करें एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें)
सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/महिला /भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता

6— शैक्षणिक योग्यता ....

7— विवाहित/अविवाहित ....
(विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि अंकित करें)

8— निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम ....

9— वर्तमान में सेवारत है तो पद नियुक्ति की दिनांक मय विभाग :—
पद..नियुक्ति की दिनांक..................................
विभाग/कार्यालय...

10— नियोजन कार्यालय में पंजीयन ....
संख्या एवं नवीनीकरण तिथि

11— संलग्न दस्तावेज (कुल संख्या) ....
1—
2—
3—
4—

दिनांक :—

(हस्ताक्षर अभ्यर्थी मय पूर्ण पता)

:: संतान के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ–पत्र ::

मैं...पुत्र／पुत्री／पत्नी श्री................................ ....निवासी ....तहसील...........................जिला ....शपथ पूर्वक घोषणा करता／करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं...शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता／करती हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथग्रहिता

:: विवाह के समय दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र ::

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी ....तहसील...........................जिला ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं...शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथग्रहिता

:: शपथ–पत्र ::

(10 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा)

मैं / सुश्री.. पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमती..निवासी ....तहसील............................जिला ....शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती / श्री... निवासी..के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक...को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री..निवासी.............. .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य से बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मैं..अविवाहित हूँ।

या

मैं...विधुर / विधवा हूँ।(पत्नी / पति) श्री / श्रीमती............. .... ।

या

मै...तलाकशुदा हूँ। (प्रमाणपत्र संलग्न है)

या

मैं..परित्यक्ता हूँ मेरा विवाह श्री................................. .... के साथ दिनांक ....को सम्पन्न हुआ था।

सत्यापन

मैं..शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथग्रहिता